

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुबोधसिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—129 / 2023 (2023 / 295) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. भैरूलाल पिता दयाराम गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गंगादेवी पत्नि दयाराम गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजु पिता दयाराम गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. नेनु पिता सोराम गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भैरू पुत्र गोमा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रूपा पिता गोपी गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लादु पिता गोपी गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. दयाराम पिता चतरू गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. ईश्वर पिता कस्तुर बैरवा निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. गणेश पिता सवाई बैरवा निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सुवा पिता सवाई बैरवा निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 20.12.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1487 रकबा 0.75 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 172 पर दर्ज है। इसी प्रकार आराजी संख्या 1308 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1486 रकबा 1.08 है0, आराजी संख्या 1488 रकबा 1.62 है0, आराजी संख्या 1897/1344 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 739 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 750 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 754 रकबा 0.11 है0 कुल कित्ता 7 कुल रकबा 3.39 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 186 पर दर्ज है। इसी प्रकार आराजी संख्या 1904/1484 रकबा 0.50 है0 भूमि खाता संख्या 241 पर दर्ज है। इसी प्रकार आराजी संख्या 1903/1484 रकबा 0.78 है0 भूमि खाता संख्या 59 पर दर्ज है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी



का जवाब देते हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 01.06.2023 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 18.07.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1487 रकबा 0.75 है० भूमि राजस्व खाता संख्या 172 पर दर्ज है। इसी प्रकार आराजी संख्या 1308 रकबा 0.15 है०, आराजी संख्या 1486 रकबा 1.08 है०, आराजी संख्या 1488 रकबा 1.62 है०, आराजी संख्या 1897/1344 रकबा 0.07 है०, आराजी संख्या 739 रकबा 0.11 है०, आराजी संख्या 750 रकबा 0.25 है०, आराजी संख्या 754 रकबा 0.11 है० कुल कित्ता 7 कुल रकबा 3.39 है० भूमि राजस्व खाता संख्या 186 पर दर्ज है। इसी प्रकार आराजी संख्या 1904/1484 रकबा 0.50 है० भूमि खाता संख्या 241 पर दर्ज है। इसी प्रकार आराजी संख्या 1903/1484 रकबा 0.78 है० भूमि खाता संख्या 59 पर दर्ज है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुबोधसिंह चारण)
सहायक कलक्टर (पटवार अधिकारी)
रायपुर (तहसील) मीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—129/2023 (2023/295) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. भैरूलाल पिता दयाराम गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गंगादेवी पत्नि दयाराम गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजु पिता दयाराम गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. नेनु पिता सोराम गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भैरु पुत्र गोमा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रूपा पिता गोपी गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लादु पिता गोपी गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. दयाराम पिता चतरु गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. ईश्वर पिता कस्तुर बैरवा निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. गणेश पिता सवाई बैरवा निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सुवा पिता सवाई बैरवा निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 20.12.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 1487 रकबा 0.75 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 172 पर दर्ज है। इसी प्रकार आराजी संख्या 1308 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1486 रकबा 1.08 है0, आराजी संख्या 1488 रकबा 1.62 है0, आराजी संख्या 1897/1344 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 739 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 750 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 754 रकबा 0.11 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.39 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 186 पर दर्ज है। इसी प्रकार आराजी संख्या 1904/1484 रकबा 0.50 है0 भूमि खाता संख्या 241 पर दर्ज है। इसी प्रकार आराजी संख्या 1903/1484 रकबा 0.78 है0 भूमि खाता संख्या 59 पर दर्ज है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 20.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(सुबोधसिंह चारण)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (जिला भीलवाड़ा)